

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

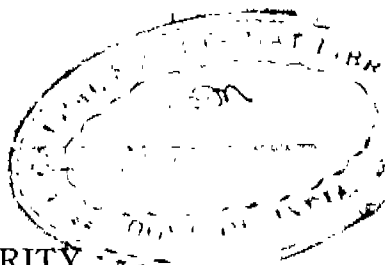
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 41]

नई दिल्ली, शक्रवार, अप्रैल 9, 1965/चैत्र 19, 1887

No. 41]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 1965/CHAITRA 19, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL & MINES

RESOLUTION

New Delhi, the 7th April 1965

No. Ind-3(24)/64.—The Committee on Electric Furnaces, Steel Foundries and Steel Re-rolling Mills appointed in July, 1956, under the Chairmanship of Shri B. B. Saksena, Joint Secretary in the erstwhile Ministry of Commerce and Industry, had *inter alia* made an assessment of the capacity of existing re-rolling mills in the country. The assessment revealed considerable disparity between the sanctioned capacity of the units and their actual capacity. However, it was felt that further detailed technical scrutiny was necessary. Subsequently, during 1960-61, when there was a period of abundance of billets as a result of the time-lag between commencement of steel production and the commissioning of finishing mills of the main steel works, the billet re-rollers were free to indent for as much quantity of billets as could be consumed by them. The production recorded during this period would, it was considered, reflect the capacity of the billet re-rollers more or less realistically. It was, therefore, decided to fix the billet entitlement of the re-rollers working on billets on the basis of production recorded during this period. Even this criterion was not fully satisfactory and there have been representations to the Government for fixing the capacity of the various re-rolling units—both scrap-based and billet-based on a more realistic basis,

The Government of India have, therefore, decided to set up a Technical Committee to make a rational assessment of the capacity of the re-rolling mills. The composition of the Committee will be as follows:—

Chairman

1. Shri S. C. Mukherjee, Dy. Iron & Steel Controller.

Members

2. Shri Viren J. Shah, The Steel Re-rolling Mills Association of India.
3. Shri M. Panje, Chief Supdt. Rolling Mills, Bhilai.

The Committee will—

- (a) assess the capacity of re-rolling mills whether working on billets or scrap;
- (b) recommend what types of merchant products the re-rolling mills can roll economically; and
- (c) Indicate what units are out-dated and/or un-economic.

The Committee will submit its report by the end of August, 1965.

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all State Governments, all Ministries of Government of India, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, the Private and Military Secretaries to the President, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General, Central Revenues.

The Directorate General of Technical Development, New Delhi.

Iron and Steel Controller, 33-Netaji Subhas Road, Calcutta.

The Steel Re-rolling Mills Association of India 2-Brabourne Road, Calcutta.

Ordered also that it be published in the Gazette of India, Extraordinary.

G. RAMANATHAN, Jt. Secy

इस्पात और खान मंत्रालय

नई दिल्ली, ता० 7 अग्रेल 1965

संकल्प

संख्या-इन्डस्ट्री-3(24)/64—भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री बी०बी० सक्सेना की अध्यक्षता में जुलाई, 1956 में नियुक्त विद्युत भट्टी, इस्पात ठलाई घर और इस्पात पुनर्बेलन मिल विषय समिति ने अन्य बातों के साथ साथ देश की पुनर्बेलन मिलों की वर्तमान क्षमता का मूल्यांकन किया था। इस मूल्यांकन से ज्ञात हुआ कि इन इकाइयों की स्वीकृत क्षमता और वास्तविक क्षमता में बड़ा अन्तर है। तथापि यह अनुभव किया गया कि इसकी और विस्तृत तकनीकी पड़ताल की आवश्यकता है। तत्पश्चात् 1960-61 में, जब प्रमुख इस्पात कारखानों के इस्पात-उत्पादन और फिनिशिंग मिलों के कार्यात्मक में समयान्तर के परिणामस्वरूप बिलेटों की प्रचुरता थी तब बिलेट-पुनर्बेलन मिलों को छूट थी कि वे अपनी खपत की आवश्यकता अनुसार बिलेट के लिए इन्स्टेंट भेज सकते हैं। यह विचार किया गया था कि इस अवधि के उत्पादन से बिलेट पुनर्बेलन मिलों की यथार्थ क्षमता प्रकट होगी। अतः बिलेट के पुनर्बेलन कर्तव्यों की बिलेट आवश्यकताएं इस अवधि में हुए उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित करने का निश्चय किया गया। यह मापदण्ड भी पूर्णतया सन्तोषजनक नहीं था। सरकार को इस बाबत अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि विभिन्न पुनर्बेलन इकाइयों की स्क्रैप-आधारित और बिलेट आधारित दोनों की क्षमता अधिक यथार्थ आधार पर पुनः निर्धारित की जाए।

अतः भारत सरकार ने पुनर्बेलन मिलों की क्षमता का तर्क संगत मूल्यांकन करने के लिए एक तकनीकी समिति स्थापित करने का निश्चय किया है। समिति का गठन इस प्रकार है :—

अध्यक्ष

1. श्री एस० सी० मुखर्जी,
लोहा और इस्पात के उप-नियंत्रक

सदस्य

2. श्री बीरेन जे० शाह,
दि स्टील रि-रोलिंग मिल्स एसोसिएशन आफ इंडिया
3. श्री एम० पांजे,
मुख्य अधीक्षक, पुनर्बेलन मिल, भिलाई

समिति निम्नलिखित काम करेगी :—

- (क) बिलेट अथवा स्क्रैप का प्रयोग करने वाली पुनर्बेलन मिलों की क्षमता का मूल्यांकन करना;
- (ख) यह सिफारिश करना कि पुनर्बेलन मिलें किस प्रकार वाणिज्यिक उत्पाद का लाभ-प्रद रूप में बेलन कर सकती हैं; और
- (ग) यह बताना कि कौन सी इकाइयां पिछड़ी हुई और/अथवा अलाभप्रद हैं।

समिति अगस्त, 1965 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट देगी।

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री के सचिवालय, मंत्रि-मंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, राष्ट्रपति, के निजी तथा मिलिटरी सचिवों, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और केन्द्रीय राजस्व के महालेखापाल को तथा महानिदेशक, तकनीकी विकास, नई दिल्ली, लोहा और इस्पात नियंत्रक, 33, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता, एवम स्टील रि-रोलिंग मिल्स एसोसिएशन आफ इंडिया, 2—ब्राबोर्न रोड, कलकत्ता को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जी० रामनाथन,

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

